<u>समयबद्ध/अत्यन्त महत्वपूर्ण</u>

परिपत्र संख्या–05/सामा–1(5)/2020

प्रेषक,

अपर महानिरीक्षक (मु0),
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक,
कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश।

दिनॉक–19 मार्च, 2020

विषयः– कोरोना वायरस के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–781जे/22–5–20–300(1)/2020, दिनांक 18.03.2020 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उक्त शासनादेश की छायाप्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि बिन्दु संख्या–2(1) में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत शासनादेश दिनॉक 18.03.2020 को उपलब्ध कराये गये सर्दी, खॉसी, जुकाम, बुखार आदि से पीड़ित बन्दियों की सूची मुख्य चिकित्साधिकारी/जिलाधिकारी को तत्काल उपलब्ध कराते हुए रक्त परीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करा लें। रक्त परीक्षण की रिपोर्ट में किसी बन्दी का परिणाम पॉजिटिव आने की स्थिति में तत्काल मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित् करते हुए तत्काल मुख्यालय को सूचित करें।

उक्त शासनादेश के प्रस्तर–2(4) में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में दिनॉक 01.02.2020 के पश्चात् आये विदेशी कैदियों की सूची तत्काल उपलब्ध करायें तथा उनका ब्लड टेस्ट भी अनिवार्य रूप से कराते हुए पॉजिटिव आने पर प्रस्तर–1 के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित् करें।

–2–

किसी कारागार कार्मिक में खॉसी, बुखार, खरास आदि के लक्षण पाये जाने पर भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित् करें।

उपरोक्त आदेशों का अनुपालन कड़ाई से करना सुनिश्चित् करें।

संलग्नकः—यथोपरि।

19/3/20

(डा0 शरद)
अपर महानिरीक्षक (मु0),
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश।

परिपत्र पृ0सं0 /सामा—1(5)/2020, तद्दिनॉक मार्च, 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग—5 के पत्र दिनॉक 18.03.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ।

2— समस्त उप महानिरीक्षक कारागार को इस आशय से प्रेषित है कि कोरोना वायरस के प्रकोप से बचाव के सम्बन्ध में आदेशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(डा0 शरद)
अपर महानिरीक्षक (मु0),
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश।

संख्या–781जे0 / 22–5–20–300(01) / 2020

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक / महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग–5 लखनऊ : दिनांक 18 मार्च, 2020

विषयः–सूओ मोटो रिट पिटीशन (सिविल) संख्या–1 / 2020 IN RE : CONTAGION OF COVID 19 VIRUS IN PRISONS में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.2020 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–7827 / सामा–1(5) / कोविड–19 सर्वोच्च न्याया0 / 2020, दिनांक 18.03.2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से प्रश्नगत याचिका में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.2020 के परिपालन में अनुपालन आख्या अनुमोदनार्थ उपलब्ध करायी गयी है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्चतम् न्यायालय के सन्दर्भगत आदेश के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित कार्यवाही सर्वोच्च प्राथमिकता पर कराने का कष्ट करें :–

(1) प्रदेश की कारागारों के सभी बीमार बन्दियों का ब्लड टेस्ट अगले 03 दिन में करा दिया जाय। बीमार बंदियों की सूची प्रत्येक जेल अधीक्षक दिनांक 19.03.2020 को ही सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी / जिलाधिकारी को उपलब्ध करा दें। इस हेतु आज ही यथावश्यक आदेश निर्गत कर दिये जाय।

(2) जिला कारागार, डासना (गाजियाबाद) व जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर का कमशः जिलाधिकारी / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद एवं जिलाधिकारी / पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर 02 दिन में निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(3) प्रत्येक जेल में मास्क की पर्याप्त उपलब्धता जेल द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(4) जेल में विदेशों से दिनांक 01.02.2020 के बाद आए कैदियों की सूची दिनांक 19.03.2020 में ही ले ली जाय और उनका ब्लड टेस्ट अनिवार्य रूप से करा लिया जाय।

(5) यदि थर्मल स्कैनर अथवा अन्य कोई चिकित्सकीय उपकरण (मेडिकल इक्यूपमेंट) आदि की आवश्यकता हो तो उसका वित्तीय प्रस्ताव दिनांक 19.03.2020 तक शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(6) मा0 उच्चतम न्यायालय में सुनवाई की नियत तिथि 23.03.2020 को आप स्वयं एवं श्री आर0 पी0 पाण्डेय, विशेष सचिव, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन मा0 न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।

(7) प्रश्नगत याचिका में उत्तर आदि तैयार कराने की कार्यवाही श्रीमती गरिमा प्रसाद, एडवोकेट ऑन रिकार्ड मा0 उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा की जायेगी।

कृपया उपर्युक्तानुसार सम्बन्धित को अपने स्तर से यथावश्यक निर्देश आज ही निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुरेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-781जे0ए/22-5-20-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अग्रलिखित निर्देशो सहित प्रेषित :-

1- जिलाधिकारी, गाजियाबाद एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह कृपया जिला कारागार, डासना (गाजियाबाद) का प्रश्नगत प्रकरण के सन्दर्भ में 02 दिन के अन्दर निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या शासन एवं कारागार मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

2- जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर एवं पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह कृपया जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर का प्रश्नगत प्रकरण के सन्दर्भ में 02 दिन के अन्दर निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या शासन एवं कारागार मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

3- श्रीमती गरिमा प्रसाद, एडवोकेट ऑन रिकार्ड, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया प्रश्नगत याचिका में यथापेक्षित उत्तर तैयार कराने का कष्ट करें।

4- श्री आर0 पी0 पाण्डेय, विशेष सचिव, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5- अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद/नोडल अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।

6- अधीक्षक, जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(सुरेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।